अध्याय सत्रह

अन्य सामाजिक सेवाएं

श्रम कल्याण

सीतापुर मुख्यतया एक उत्कृष्ट कृषि प्रधान जिला है, किन्तु यहां पर लघु एवं कुटीर उद्योग भी चलाए जाते हैं और अनेक बड़े उद्योगों की स्थापना और प्रोन्नति के कारण यह औद्योगिकीकरण के एक नए प्रक्रम में पहुंच चुका है और समय-समय पर श्रम विधियों तथा श्रमकल्याण उपायों को प्रवर्तित किया जा रहा है।

संगठनात्मक व्यवस्था

श्रम विधियों और श्रम कल्याण उपायों के कार्यान्वयन के लिए इस राज्य को सात सम्भागों में विभाजित किया गया है। इन सात सम्भागों में से एक सम्भाग लखनऊ है और सीतापुर जिला इसी का एक हिस्सा है।

1953 के पूर्व जिले में श्रम विधियों के प्रवर्तन का पर्यवेक्षण श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर और सम्भागीय संराधन अधिकारी, लखनऊ द्वारा किया जाता था। मार्च 1953 में सीतापुर नगर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मजदूरी निरीक्षक का कार्यालय स्थापित किया गया। यू0 पी0 शाप्स एण्डे कमर्शियल इस्टैब्लिशमेन्ट्स ऐक्ट, 1947 के उपबन्ध, 15 जून, 1955 को सीतापुर नगर में भी लागू कर दिए गए और न्यूनतम मजदूरी निरीक्षक का पदनाम श्रम निरीक्षक कर दिया गया। उसका कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि श्रम विधियों का प्रवर्तन समुचित ढंग से किया जा रहा है और विधियों का उल्लंघन किए जाने पर अभियोग चलाए।

कार्यकलाप

अन्य जिलों की भांति इस जिले में भी श्रम विभाग का कार्य श्रम विधियों को लागू करना, श्रम संगठन में अपेक्षित सहायक उपायों को कार्यान्वित करना और कल्याण केन्द्रों को खोलना है।

इस जिले में निम्नलिखित श्रम विधियां लागू हैं, जिनका संबंध कार्य करने की शर्तों, औद्योगिक सुरक्षा, सफाई, वेतन, औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा और कार्य करने के स्थान के बाहर और भीतर श्रमिकों के कल्याण से है।

इस जिले के 16 कारखानों में कारखाना अधिनियम, 1948, लागू है। अन्य बातों के साथ-साथ इन कारखानों में महोली, हरगांव और बिसवां में स्थित चीनी के तीन कारखाने, प्लाईवुड प्राडक्ट्स, राज इंजीनियरिंग वर्क्स, रामा प्रिंटिंग प्रेस, बिजलीघर (सभी सीतापुर में) और कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, नीलगांव आदि शामिल हैं। इस अधिनियम के उपबन्ध जिले के उन बहुत से लघु कारखानों के संबंध में लागू नहीं होते, जो यद्यपि बिजली से चलते हैं, किन्तु जिनमें नौ से अधिक व्यक्ति सेवायोजित नहीं किये जाते।

कारखानों के भीतर कार्य करने की शर्तों और घंटों, बालकों के सेवायोजन, छुट्टी और मजदूरी, औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, व्यवसाय जनित रोग, प्राथमिक उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने, भोजनालय, गर्मी में ठंडे जल की संपूर्ति और अन्य कल्याणकारी उपायों की अधिनियम में व्यापक व्यवस्था की गयी है।

परिवहन और कुछ अन्य लघु उद्योगों जैसे बीड़ी बनाना, दरी बुनना, आतिशबाजी, साबुन बनाना, चमड़ा कमाना आदि में पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के सेवायोजन पर बालक नियोजन अधिनियम 1938 द्वारा रोक लगा दी गई है।

यू0 पी0 शाप्स ऐण्ड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेण्ट्स ऐक्ट, 1947 सीतापुर और बिसवां के नगरों में लागू है। इसका उद्देश्य दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों और विक्रेताओं के हितों को बढ़ावा देना और उनके कार्य करने की शर्तों, छुट्टी और मजदूरी को विनियमित करना है, उसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 8 घण्टे से अधिक कार्य न लिया जाय तथा इस अधिनियम द्वारा जो अधिष्ठान नियंत्रित होते हों उन्हें सप्ताह में कम से कम एक दिन अपना कारोबार अवश्य बंद रखना होगा। सीतापुर नगर के सभी बाजार रविवार को बन्द रहते हैं। इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत बाजारों का निरीक्षण करने का अधिकार मूलतः स्थानीय नगरपालिका के कार्याधिकारी में निहित था, किन्तु इसे अप्रैल, 1956 में वापस ले लिया गया और श्रम निरीक्षक को दे दिया गया, जिसने इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन करने के संबंध में 1959 में सात और 1960 में नौ